D.J. 15-5-13

आनलाइन जमा होगा होल्डिंग टैक्स

- आनलाइन पेमेंट गेटवे के लिए निविदा आमंत्रित
- नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जमा कर सकेंगे कर
- मंत्री ने दिया दिसंबर तक काम पूरा करने का निर्देश

जागरण ब्यूरो, पटना : राज्य सरकार, नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स एवं अन्य करों के भुगतान के लिए आनलाइन व्यवस्था करने जा रही है। तब होल्डिंग टैक्स के लिए निकाय के कार्यालय जाने या टैक्स कलेक्टर का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। लोग घर बैठे अपने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करों का भुगतान कर सकेंगे।

नगर विकास एवं आवास मंत्री डा. प्रेम कुमार के अनुसार प्रदेश के 141 नगर निकायों में रहने वाले नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 'आनलाइन पेमेंट गेटवे' की सुविधा ■ शेष पृष्ठ 21 पर

जमीन निबंधन का नया एमवीआर लागू

पटना : राजधानी पटना समेत राज्य के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का नया सर्किल रेट 15 मई यानी बुधवार से लागू हो जाएगा। मंगलवार को देर रात तक पुराने रेट पर निबंधन कराने को कार्यालयों में भीड़ रही। मामूली संशोधन के साथ नया एमवीआर लागू किया गया है। (विस्तृत खबर पृष्ठ 3 पर पढ़ें)

आनलाइन जमा होगा होल्डिंग टैक्स

उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। स्पर (सपोर्ट प्रोग्राम फार अर्बन रिफार्म्स) ने आनलाइन पेमेंट गेटवे एंड इलेक्ट्रानिक क्लीयरेंस सिस्टम की सुविधा के लिए निविदा आमंत्रित की है। मंत्री ने निर्देश दिया है कि सारी व्यवस्था इस साल दिसंबर के तक पूर्ण करते हुए सिस्टम को चालू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निकायों में रहने वाले नागरिकों को होल्डिंग टैक्स आदि जमा करने में काफी असुविधा हो रही थी। इसके कारण अनेक लोग कर जमा नहीं कर पाते हैं। इस परेशानी को देखते हुए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया गया है। लोगों को सहूलियत होने के साथ निकायों को भी कर के मद में समय पर राशि मिल जाएगी।